राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः 71 / 2025
जीसीएमएस संख्याः 2025 / 1847
निर्णय दिनांकः 26.09.2025
दायर दिनांकः 02.05.2025

1. सोहन सिंह राठौड़ पुत्र ज्ञान सिंह राजपूत निवासी सुजानगढ़ जिला चूरू

...............प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट एवं 88 आरटी एक्ट

उपस्थिति

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री देवेन्द्र सिंह राठौड़।
2. राज पैरोकार।

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं धारा 88 आरटी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी गनोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू का स्थायी निवासी है। प्रार्थी की खातेदारी खेत वाके रोही ग्राम गनोडा तहसील सुजानगढ़ में खाता संख्या 100 खेत खसरा नम्बर 271 तादादी 0.1138 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सोहनसिंह पुत्र ज्ञानसिंह अंकित है। जबकि खातरा संख्या 240 में अंकित खेत ख0नं0 133 तादादी 5.2233 है0 व खाता संख्या 211 में अंकित खेत खसरा नम्बर 216 तादादी 9.3825 है0, खसरा नम्बर 292 तादादी 4.3625 है0 व खसरा नम्बर 295 तादादी 3.5785 है0 खसरा नम्बर 314 तादादी 5.3741 है0, खसरा नम्बर 315 तादादी 6.3477 है0 भूमि संयुक्त खातेदारी की है जिसमें प्रार्थी का नाम सोनसिंह पुत्र ज्ञानसिंह दर्ज है, जो अशुद्ध है, जबकि प्रार्थी का सही नाम सोहनसिंह राठौड़ पुत्र ज्ञानसिंह है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण रिकॉर्ड दुरस्त करवाना आवश्यक है।

प्रश्नगत खेत रोही गनोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गनोड़ा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 100, 211, 240 में प्रार्थी साहनसिंह राठौड़ पुत्र ज्ञानसिंह का नाम क्रमशः सोहनसिंह पुत्र ज्ञानसिंह व ...सिंह पुत्र ज्ञानसिंह दर्ज है जो गलत है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तोवजों यथा आधारकार्ड, पैनकार्ड, डाइविंग लाइसेंस में प्रार्थी का सही नाम सोहनसिंह राठौड़ पुत्र ज्ञान सिंह है जो सही है। सोनसिंह, सोहनसिंह राठौड़ एक ही व्यक्ति है। तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सोनसिंह व सोहनसिंह की बजाय सोहनसिंह राठौड़ दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में प्रार्थी का नाम सोहनसिंह राठौड़ पुत्र ज्ञानसिंह अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही गनोड़ा तहसील सुजानगढ़ के राज़स्व रिकॉर्ड में खाता संख्या 100, में दर्ज खातेदार का नाम सोहनसिंह पुत्र ज्ञानसिंह के स्थान पर सोहनसिंह राठौड़ पुत्र ज्ञानसिंह व खाता संख्या 211, 240 में सोहनसिंह पुत्र ज्ञानसिंह के स्थान पर सोहनसिंह राठौड़ पुत्र ज्ञान सिंह दर्ज किया जावे। रहन की प्रविष्टी (यदि कोई हो तो) यथावत रहेगी। अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को टंकित करवाया जाकर सरे आम इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़